

न्यायालय संभागीय आयुक्ता, बीकानेर
अपील संख्या- 49/2013 अंतर्गत धारा-78 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2013/00014)

अनवान:

1. भंवरलाल पुत्र स्व. सुरजाराम जाति माली निवासी रानी बाजार
भैरूदानजी का बंगला, रामदेव मंदिर के पास, बीकानेर वगैरह।

बनाम

1. उर्मिला पुत्री स्व. सुरजाराम पत्नी विजयकुमार जाति माली
निवासी जैन पाठशाला के पीछे, नया कुआं, मोडिया मालियो
का मौहला, बीकानेर वगैरह।

07.10.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक
अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट संख्या 7 व 13 ता 17 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत
करने हेतु दिनांक 08.10.2014 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है,
किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद
आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये
अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत
की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलान्ट को लगातार पाबन्द करने के
बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने
की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर
करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज
की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं
अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी
जावे। आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को सुनाया गया।

(वन्दना सिधवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर